न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 59/2018

1 छोटेलाल पुत्र चुनाराम मृतक।
1/1 श्रीमती भंवरी देवी पत्नी छोटेलाल।
1/2 संजेश कुमार पुत्र छोटेलाल।
1/3 संदीप कुमार पुत्र छोटेलाल।
1/4 अनिता कुमारी पुत्री छोटेलाल समस्त जाति जाट निवासीगण जेरठी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवरी देवी पत्नी लालचन्द।
2 महेन्द्र पुत्र लालचन्द।
3 अर्जुन पुत्र लालचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण जेरठी तहसील धोद जिला सीकर।
4 तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04.06.2018 द्वारा पारित
भावना गर्ग उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
प्रकरण संख्या 18/2016 उनवानी भंवरी वगैरह बनाम
छोटेलाल वगैरह अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः– 16.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 18/2016 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की कटान का रास्ता जो जेरठी ग्राम से होते हुए रेल्वे लाईन के पास से दादिया जाता है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, में से खसरा नम्बर 938 रकबा 3.20 हैक्टेयर गैर मुमकिन चारागाह में प्रवेश कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1311/932 रकबा 1.00 हैक्टेयर के दक्षिणी पश्चिमी कोने में प्रवेश करता है तथा खसरा न म्बर 1311/932 रकबा 1.00 हैक्टेयर की पश्चिम सींव के सहारे–सहारे होता हुआ खसरा नम्बर 1244/932 रकबा 1.05 हैक्टेयर कृषि भूमि की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे होता हुआ खसरा नम्बर 1245/932 रकबा 1.17 हैक्टेयर की दक्षिणी पश्चिमी सींव में प्रवेश करने का रास्ता है। उक्त रास्ते को इसी अनुसार आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार समुचित जवाब देही एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 एवं उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही बहस सुनकर मैरिट पर निर्णय व आदेश पारित किया जाना उचित एवं आवश्यक था परन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं कर मात्र फर्द अहकाम में बहस सुनी जाना अंकित कर दिनांक 04.06.2018 को सरसरी तौर पर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व और प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 3 के पक्ष में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रास्ता निकालने का आदेश पारित किया गया। ऐसा आदेश विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान में पारित किया है। अपीलांट को इसकी जानकारी नही दी गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2018 को अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने इसका कोई जवाब प्रस्तुत नही किया, विचारण न्यायालय ने इस आपत्ति का कोई निस्तारण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। विचारण न्यायालय द्वारा गैर मुमकिन आबादी में से रास्ता काट दिया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251ए के प्रावधान आवासीय भूमि पर लागु नही होते है अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा जरिये वकील उपस्थिति रही है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता नही होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम होना अंकित किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 एवं उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही बहस सुनकर मैरिट पर निर्णय व आदेश पारित किया जाना उचित एवं आवश्यक था परन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं कर मात्र फर्द अहकाम में बहस सुनी जाना अंकित कर दिनांक 04.06.2018 को सरसरी तौर पर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व और प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 3 के पक्ष में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रास्ता निकालने का आदेश पारित किया गया। ऐसा आदेश विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान में पारित किया है। अपीलांट को इसकी जानकारी दिये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2018 को अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने इसका कोई जवाब प्रस्तुत नही किया, विचारण न्यायालय ने इस आपत्ति का कोई निस्तारण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। विचारण न्यायालय द्वारा गैर मुमकिन आबादी में से रास्ता काट दिया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251ए के प्रावधान आवासीय भूमि पर लागु नही होते है। इस तथ्य पर भी विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण विधिक प्रकिया अपनाकर अपीलांट को सुनकर गुणावगुण पर पुन निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर